

FORM NO. III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत- न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन मुकाम कपासन

.....जी.आर. वती वनाम .....अ.प्र.स.स.स......  
किरम मुकदमा ..... नं० .....196..... सन् .....2015.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुं
06.08.2025	पत्रावली सिगहे से पेश हुई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/सरिश्ता/एफ-01(02)2019/491 दिनांक 05.08.2025 से हस्तगत प्रकरण की सुनवाई बाबत् क्षेत्राधिकारिता न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक), कपासन की गई है। अतः श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ के आदेश की पालना में हस्तगत प्रकरण को न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) कपासन को स्थानान्तरित किया जाता है। तदनुसार प्रकरण में न्यायालय हाजा से कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। तदनुसार अभिलेखों में अंकन किया जावे। मूल पत्रावली सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) कपासन के समक्ष पेश हों।  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन	
06.08.2025	पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/सरिश्ता/एफ-01(02)2019/491 दिनांक 05.08.2025 की पालना में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन से अंतरित होकर प्राप्त हुई है। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण की न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन में अग्रिम पेशी दिनांक <del>22.10.2025</del> नियत रही है। तदनुसार वास्ते अग्रिम कार्यवाही पत्रावली इस न्यायालय में भी उक्त पेशी दिनांक <del>22.10.2025</del> को पेश हो।  सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) कपासन (फास्ट ट्रेक), कपासन  22/8/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हांजर। श्रामान पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते <u>अग्रिम कार्यवाही</u> दिनांक <u>14/10/25</u> को पेश हों।  14/10/25 जी.आर. वती घापर नगी। बार-बार अहकाम लगाते हैं। घापर नगी। घापर नगी माने से पत्रावली अहकाम घापर नगी वे घापर नगी पेशी है। पत्रावली केवल अहकाम घापर नगी घापर नगी। अहकाम अहकाम अहकाम कलक्टर (फास्ट ट्रेक), कपासन	408 2025